रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्गुन 5, 1936
No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

[अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड (कोयला) का कार्यालय]

अधिसूचना

धनबाद, 20 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 119(अ).—कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 13(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रबंधक सक्षमता परीक्षा के संचालन एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने से संबंधित उपनियमों, जहाँ तक उनका संबंध अनुच्छेद (6):- परीक्षा का प्रकार, अनुच्छेद (7) :- विषय अंक और अनुच्छेद (8) से है, को एतदद्वारा निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुच्छेद (6) परीक्षा का प्रकार:-

(1) प्रत्येक विषय की परीक्षा में एक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (दो घंटे अवधि का) और एक मौखिक परीक्षा शामिल होगा, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो उपनियम 8 (1) में निर्धारित मानकों को प्राप्त न किया हो, उसकी मौखिक परीक्षा परीक्षक/बोर्ड रद्द कर सकता है।

(2) प्रत्येक विषय के लिए प्रश्न परीक्षकों के एक समूह द्वारा तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे। बोर्ड प्रश्न पत्र को अनुसमर्थन कर अंतिम रूप देगा, तथा यदि आवश्यक हो, तो परीक्षकों से इस विषय पर सलाह कर सकता है।

(3) मौखिक परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के बाद एवं सचिव द्वारा प्रत्येक संबंधित अभ्यर्थी को सूचित की गई तिथि को आयोजित की जा सकती है। सूचना मौखिक परीक्षा का स्थान भी प्रदर्शित करेगा।

अनुच्छेद (7) विषय अंक :- प्रत्येक विषय कुल अधिकतम 100 अंक का होगा : अधिकतम 80 अंक कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए और 20 अंक मौखिक परीक्षा के लिए ।

अनुच्छेद (8):-

(1) मौखिक परीक्षा हेतु योग्य होने के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अधिकतम अंक का 50% से अन्यून (not less than 50%) यानी 80 में से न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(2) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्राप्त करना अनिवार्य है:-

(i) प्रत्येक विषय में, अलग-अलग कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अधिकतम अंक का 50% से कम नहीं (यानी 80 में से न्यूनतम 40) एवं मौखिक परीक्षा में अधिकतम अंक का 30% से कम नहीं (यानी 20 में से न्यूनतम 6 अंक) ।

(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी अम्यर्थी को मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा तथा प्रत्येक विषय में, कम्प्यूटर आधारित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के कुल अधिकतम अंक में से कम-से-कम 50% यानी 100 में से 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

[संचिका सं. बोर्ड/कोयला/01/2015]

राहुल गुहा, खान सुरक्षा महानिदेशक एवं अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड (कोयला)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Mines Safety)

[OFFICE OF THE CHAIRMAN, BOARD OF MINING EXAMINATIONS (COAL)]

NOTIFICATION

Dhanbad, the 20th February, 2015

G.S.R. 119(E).—In pursuance of the provisions of Regulation 13(4) of the Coal Mines Regulations, 1957, the bye-laws for the conduct of examination and grant of Manager's Certificates of Competency so far as they relate to Para-(6):- Type of Examination, Para-(7):- Subject Marks and Para (8) is being substituted by the following:—

Para (6) Type of Examination:—

(1) The examination for each subject shall consist of a Computer Based Test (of two hours' duration) and an oral test; so however that, in case of a candidate who has not reached the standard laid down in Bye-Laws 8(1), the examiners/Board may eliminate the oral test.

(2) Questions for each subject shall be prepared by a group of examiners and submitted to the Board. Board will ratify and finalize the question paper, if required in consultation with the examiners.

(3) The oral test may be held at a date after the Computer Based Test and notified to every candidate concerned by the Secretary. The notice shall also indicate the place of the oral test.

Para (7) Subject Marks: - Every subject shall carry a total maximum of 100 marks: a maximum of 80 marks for the computer based test and of 20 marks for the oral test.

Para (8) (1) In order to qualify for the oral test, a candidate must obtain in the Computer Based Test not less than 50% of the maximum marks in each subject i.e. at least 40 marks out of 80.

(2) In order to pass the examination a candidate must obtain

(i) not less than 50% of the maximum marks in each subject in Computer Based Test (i.e. at least 40 out of 80) and 30% of the maximum marks in the oral test (i.e. at least 6 out of 20) separately.

(ii) in order to pass the examination a candidate must appear in oral examination and obtain not less than 50% of the maximum marks in aggregate of the Computer Based Test and oral test in each subject i.e. 50 out of 100.

[F. No. Board/Coal/01/2015]

RAHUL GUHA, Director General of Mines Safety & Chairman, Board of Mining Examination (Coal)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.